# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज : ........ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा ........ नियम ........

........ पुष्पा देवी ........ बनाम तहसीलदार पचपदरा

किस्म मु ........ 136, 131, R.L.R.Act ........ नं. 154 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 01.10.20 | प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री करण सिंह सोलंकी ने अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत. पेश किया। जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र रजिस्टर हो ,विप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस मय प्रार्थना पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल / जवाब दिनांक 29/10/20 को पेश हो।<br><br>सहायक कलेक्टर<br>(S.D.O.) बालोतरा | |
| 29.10.20 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित।<br>सरकारी पैरोकार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 544/20 में पारित निर्णय दिनांक 7.9.20 लूणी नदी क्षैत्र में अतिक्रमण के संबंध में विचाराधीन है, उक्त प्रकरण उससे संबंधित है।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील एवं सरकारी पैरोकार को सुना गया। उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया।<br>उक्त पत्रावली लूणी नदी क्षेत्र से संबंधित है, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण में न्यायालय हाजा में सुनवाई नहीं की जा सकती व ना ही अनुतोष दिया जा सकता है।<br>अतः मूल पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थी को लौटाई जाती है।<br><br>सहायक कलेक्टर<br>(S.D.O.) बालोतरा | |

Scanned by CamScanner